बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (मूर्च्छक, चर्म रोग, ई०एन०टी०, शिशु रोग एवं रेडियोलॉजिस्ट) के योगदान समर्पित करने हेतु निर्धारित समय सीमा को विस्तारित करने संबंधी आवश्यक सूचना:—

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या—1760(2) से 1764(2) सभी दिनांक—03.10.2025 एवं 1765(2) से 1767(2) सभी दिनांक—05.10.2025 द्वारा 05 प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सकों यथा मूर्च्छक, चर्म रोग, ई०एन०टी०, शिशु रोग एवं रेडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञों को नियुक्त करते हुए विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में पदस्थापित किया गया था। नियुक्ति की उक्त अधिसूचनाओं में योगदान समर्पित करने हेतु 30 (तीस) दिन का समय निर्धारित किया गया था।

उल्लेखनीय है कि कतिपय नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा अवगत कराया गया है कि योगदान समर्पित करने की समय—सीमा के दौरान राज्य में लागू आचार संहिता के कारण तथा अन्य कारणों से उनका योगदान अब तक नहीं हो सका है। साथ ही उक्त नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा योगदान समर्पित करने हेतु समय सीमा को विस्तारित करने का अनुरोध किया गया है।

वर्णित स्थिति में उपर्युक्त सभी नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों के योगदान समर्पित करने हेतु पूर्व में निर्धारित समय—सीमा को दिनांक—15.12.2025 तक विस्तारित किया जाता है। अतः जिन विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों द्वार अब तक योगदान समर्पित नहीं किया गया है, वे दिनांक—15.12.2025 तक नव पदस्थापित स्थान में योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा उक्त विस्तारित समय—सीमा के अन्दर किये जाने वाले योगदान को स्वीकृत करने की कार्रवाई संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा तदनुसार किया जायेगा।

1952(2)
21/11/25

Renu Kumari 21/11/2025

(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी